

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

13

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम टोडाभीम व
 इजलास श्री जगदीश काथे R.A.S

उनवान

मासेंद्र पुत्र किशन लाल
 ख लाल पुत्र देवपाल
 गोपी पुत्र देवपाल
 राम स्वकप पुत्र देवचन्द्र जात्रि
 निवासी मोहनपुरा
 हसील - टोडाभीम
 करौली

बनाम

० अघराभ पुत्र रामजी लाल, १
 किशानी वेवा रामजी लाल ३
 शिवलाल पुत्र जयदेव मठास्या
 ४ सियाराम पि जयदेव ६
 लोचन वेवा सुरजान ७ काडू पुत्र
 कलुभाहि देवीसहाय ८ रामसहाय
 किशुलया सभस्तजात्रि मीना
 निवासी मोहनपुरा वट - टोडाभीम
 मुकदमा नं० 138 सन् 2006

उत्तरकार हक घोषणा स्वोत्तरी
 बाबत तफासा रयायी निषेधाज्ञा
 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबई

श्री मदनमोहन शास्त्री स्व. व हाजिरी

राम भोशरी शुद्धा स्व. मिनकानिब गुदई सबरु हमोर

निब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि
 दावा वादी बि लाफ प्रतिवादी रीड की किया जाता है कि
 वादीगण को ओर से भूमि पुत्रेनी नही होना साबित होता
 है। इसलिए दवा खारिज किया जाता है।

मुबलिंग _____ बाबत _____ खर्चा इस मुकदमे के मय
 शरह _____ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक
 का अदा करें।

मुहर अदालत के आज तारीख 18-3-16 माह 16 सन्



दस्ताखत उपजिला कलक्टर
 ओहदा टोडाभीम (करौली)

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी नामा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
वाकील			महन्ताना वकील		
गवाहान			खर्चा गवाहान		
कमिशनर			फीस कमिशनर		
इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
रक			मुतफरिक		
मीजान					